कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1815 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाश घाट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं:–

1. बिन्दु संख्या 01 एवं 05 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol.-I दिनाक 26 अप्रैल, 2014 की प्रति एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 04 के क्रम में आपके शिकायती पत्रों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित की गयी है जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाश रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1815 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र के क्रम में की गयी कार्यवाही से अपीलकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कश्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण—(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [2]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[3][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन—

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[4][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

अध्याय 3 — निर्वाचन अपराध

[5][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना**—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[6][**125क. मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति**—कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,—

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[7][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषध**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,—

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) जोड़ा गया ।
[4] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।
[6] 2002 का अधिनियम सं0 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
[7] 1996 के अधिनियम सं0 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(*2*) For the purposes of clause (*7*), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the pro candidate's election if he acts as an election agent [1]* * * of that candidate.]

[2][(*3*) For the purposes of clause (*7*), notwithstanding anything contained in any oth publication in the Official Gazette of the appointment, resignation, termination of service, dismissal from service of a person in the service of the Central Government (including a person connection with the administration of a Union territory) or of a State Government shall be conclusive

(*i*) of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from ser case may be, and

(*ii*) where the date of taking effect of such appointment, resignation, termination of service, d removal from service, as the case may be, is stated in such publication, also of the fact that s was appointed with effect from the said date, or in the case of resignation, termination o dismissal or removal from service, such person ceased to be in such service with effect from the

[3][(*4*) For the purposes of clause (*8*), "booth capturing" shall have the same meaning as in section 13

CHAPTER III.—*Electoral offences*

[4][**125. Promoting enmity between classes in connection with election**.—Any person who in connectio election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a t may extend to three years, or with fine, or with both.]

[5][**125A. Penalty for filing false affidavit, etc.**—A candidate who himself or through his proposer, with int elected in an election,—

(*i*) fails to furnish information relating to sub-section (*1*) of section 33A; or

(*ii*) give false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(*iii*) conceals any information,

in his nomination paper delivered under sub-section (*1*) of section 33 or in his affidavit which is required to be delive sub-section (*2*) of section 33A, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in any other law for being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

[6][**126. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for co of poll.**—(*1*) No person shall—

(*a*) convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an electi

(*b*) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatu

(*c*) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musica or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the membe public thereto,

in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the fixed for the conclusion of the poll for any in the polling area.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with imprisonment for a t which may extend to two years, or with fine, or with both.

(*3*) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or af result of an election.].

---

1. The words "or a polling agent or a counting agent" omitted by Act 47 of 1966, s. 53 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Added by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s.13 (w.e.f. 15-3-1989).
4. Ins. by Act 40 of 1961, s. 24 (w.e.f. 20-9-1961).
5. Ins. by Act 72 of 2002, s.5 (w.e.f. 24-8-2002).
6. Subs. by Act 21 of 1996, s. 10, for s. 126 (w.e.f. 1-8-1969).

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 4/2014/SDR-Vol.I Dated: 26th April, 2014

To

The Chief Electoral Officer of
All Sates and UTs

Sub: Filing of false affidavit in Form-26 reg.

Sir/Madam,

You are aware that the format of affidavit in Form-26 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961, was amended with effect from 1/8/2012. Now the candidates are required to make declarations about assets and liabilities including that of spouse and dependents, candidate's criminal antecedents and educational qualifications, in the affidavit in Form 26.The affidavit in Form 26 is provided under section 33A and any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26 will attract the provisions of section 125A. Under the said Section 125A, furnishing of any false information or concealing of information in the affidavit in Form 26 is an electoral offence punishable with imprisonment upto six months, or with fine, or both.

2. Prior to the amendment to Form 26 in August 2012, the affidavit regarding declaration about assets, liabilities, criminal antecedents and educational qualification was given in the format prescribed by the Commission. In the case of complaints about false statement in the said affidavit, the Commission, vide its circular letter No.3/ER/2004, dated 2/6/2004, had clarified that if complaints were filed before the Returning Officer raising the issue of false declaration in the affidavit and if the RO was prima facie satisfied about the merits of the complaint, then the RO was to file a complaint before the competent Court under Section 177 of IPC read with Section 195 of Cr. P.C.

3. Now that the affidavit is in Form 26 under secion 33A of the R.P. Act, 1951, making false declaration/concealing of information in the affidavit would be covered under Section 125A of the Act. Under Section 125A, there is no stipulation that complaints under that section have to be made by the public servant concerned (in this case the R.O.). Therefore, it would be open to any aggrieved person to move petition before the appropriate Court of competent

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

jurisdiction with petition for action under Section 125A in the case of any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26.

4. Therefore, it will be no longer necessary under the Cr.PC for the Returning Officer to move the competent court in relation to any complaint about a false affidavit. The complainant himself can be the complainant before the court as well.

5. The above instructions may be brought to the notice of all DEOs and ROs for elections to both the Houses of Parliament and State Legislature for their guidance so that in the event of complaints about false statements in the affidavit in Form 26, the complainant can be informed that it would be open for him to move the appropriate court of law for action under Section 125 A of the RP Act 1951.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(K.F. Wilfred)
Principal Secretary

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1815 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाश घाट, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं:–

1. बिन्दु संख्या 01 एवं 05 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol.-I दिनाक 26 अप्रैल, 2014 की प्रति एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 क के उद्धरणों की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 04 के क्रम में आपके शिकायती पत्रों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित की गयी है जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाश रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कश्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1815 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित पत्र के क्रम में की गयी कार्यवाही से अपीलकर्ता एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कश्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण—(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [2]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[3][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन—

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[4][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

अध्याय 3 — निर्वाचन अपराध

[5][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना**—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[6][**125क. मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति**—कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,—

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[7][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषध**—(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,—

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) जोड़ा गया ।
[4] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।
[6] 2002 का अधिनियम सं0 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
[7] 1996 के अधिनियम सं0 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(*2*) For the purposes of clause (*7*), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the pro candidate's election if he acts as an election agent [1]* * * of that candidate.]

[2][(*3*) For the purposes of clause (*7*), notwithstanding anything contained in any ot publication in the Official Gazette of the appointment, resignation, termination of service, dismissal from service of a person in the service of the Central Government (including a person connection with the administration of a Union territory) or of a State Government shall be conclusive

(*i*) of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from se case may be, and

(*ii*) where the date of taking effect of such appointment, resignation, termination of service, d removal from service, as the case may be, is stated in such publication, also of the fact that was appointed with effect from the said date, or in the case of resignation, termination o dismissal or removal from service, such person ceased to be in such service with effect from the

[3][(*4*) For the purposes of clause (*8*), "booth capturing" shall have the same meaning as in section 12

CHAPTER III.—*Electoral offences*

[4][**125. Promoting enmity between classes in connection with election.**—Any person who in connectio election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or languag of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a te may extend to three years, or with fine, or with both.]

[5][**125A. Penalty for filing false affidavit, etc.**—A candidate who himself or through his proposer, with in elected in an election,—

(*i*) fails to furnish information relating to sub-section (*1*) of section 33A; or

(*ii*) give false information which he knows or has reason to believe to be false; or

(*iii*) conceals any information,

in his nomination paper delivered under sub-section (*1*) of section 33 or in his affidavit which is required to be delive sub-section (*2*) of section 33A, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in any other law for being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

[6][**126. Prohibition of public meetings during period of forty-eight hours ending with hour fixed for co of poll.**—(*1*) No person shall—

(*a*) convene, hold or attend, join or address any public meeting or procession in connection with an electi

(*b*) display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatu

(*c*) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musica or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the membe public thereto,

in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the fixed for the conclusion of the poll for any in the polling area.

(*2*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) shall be punishable with imprisonment for a t which may extend to two years, or with fine, or with both.

(*3*) In this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or af result of an election.].

---

1. The words "or a polling agent or a counting agent" omitted by Act 47 of 1966, s. 53 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Added by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s.13 (w.e.f. 15-3-1989).
4. Ins. by Act 40 of 1961, s. 24 (w.e.f. 20-9-1961).
5. Ins. by Act 72 of 2002, s.5 (w.e.f. 24-8-2002).
6. Subs. by Act 21 of 1996, s. 10, for s. 126 (w.e.f. 1-8-1969).

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 4/2014/SDR-Vol.I Dated: 26th April, 2014

To

The Chief Electoral Officer of
All Sates and UTs

Sub: Filing of false affidavit in Form-26 reg.

Sir/Madam,

You are aware that the format of affidavit in Form-26 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961, was amended with effect from 1/8/2012. Now the candidates are required to make declarations about assets and liabilities including that of spouse and dependents, candidate's criminal antecedents and educational qualifications, in the affidavit in Form 26.The affidavit in Form 26 is provided under section 33A and any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26 will attract the provisions of section 125A. Under the said Section 125A, furnishing of any false information or concealing of information in the affidavit in Form 26 is an electoral offence punishable with imprisonment upto six months, or with fine, or both.

2. Prior to the amendment to Form 26 in August 2012, the affidavit regarding declaration about assets, liabilities, criminal antecedents and educational qualification was given in the format prescribed by the Commission. In the case of complaints about false statement in the said affidavit, the Commission, vide its circular letter No.3/ER/2004, dated 2/6/2004, had clarified that if complaints were filed before the Returning Officer raising the issue of false declaration in the affidavit and if the RO was prima facie satisfied about the merits of the complaint, then the RO was to file a complaint before the competent Court under Section 177 of IPC read with Section 195 of Cr. P.C.

3. Now that the affidavit is in Form 26 under secion 33A of the R.P. Act, 1951, making false declaration/concealing of information in the affidavit would be covered under Section 125A of the Act. Under Section 125A, there is no stipulation that complaints under that section have to be made by the public servant concerned (in this case the R.O.). Therefore, it would be open to any aggrieved person to move petition before the appropriate Court of competent

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

jurisdiction with petition for action under Section 125A in the case of any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26.

4. Therefore, it will be no longer necessary under the Cr.PC for the Returning Officer to move the competent court in relation to any complaint about a false affidavit. The complainant himself can be the complainant before the court as well.

5. The above instructions may be brought to the notice of all DEOs and ROs for elections to both the Houses of Parliament and State Legislature for their guidance so that in the event of complaints about false statements in the affidavit in Form 26, the complainant can be informed that it would be open for him to move the appropriate court of law for action under Section 125 A of the RP Act 1951.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(K.F. Wilfred)
Principal Secretary

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड